न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत प्रतापपुरा

प्रार्थना-पत्र स. 73 / 2012

उनवान

नत्थू सिंह बनाम मोहर सिंह वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टैनेन्सी एक्ट एवं ऑर्डर 39 रूल, 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी

6 2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित नही आया। पत्रावली का न्यायालय मत पर अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.06.2012 को विरूद्ध अनावेदक पेश किया गया। प्रकरण मे अनावेदक द्वारा दिनांक 14.02.2014 को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का पेश किया। जिसकी प्रति वकील आवेदक ने प्राप्त कर जवाब प्रार्थना-पत्र हेतु निवेदन करने पर न्यायहित में अवसर दिया गया। वकील आवेदक को कुल 36 अवसर न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये है। परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेशो की अनदेखी कर जवाब प्रार्थना-पत्र पेश नही किया है। इस प्रकार प्रकरण के निर्णय मे विलम्ब करना जाहिर होता है। किसी भी पक्षकार को न्यायालय के आदेश की पालना नही करने की अनुमति नही है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र अनावेदक संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश नही करने पर अदम तकमील मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अलका बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राजस्थान)

Scanned by CamScanner